न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 38/2014

वादीः—

1. मांगीलाल पुत्र श्री पुखादासजी जाति वैष्णव उम्र 65 वर्ष निवासी हेमावास तहसील पाली जिला पाली (राज.)
2. घेवरराम पुत्र श्री मांगीलाल जी खारवाल निवासी हेमावास तहसील पाली जिला पाली।

बनाम प्रतिवादीगणः—

1. भूमिधारी तहसीलदार जी, पाली।

उपस्थितिः—

1. वकील श्री महेन्द्र नारायण ओझा, वादीगण
2. सरकारी पैरोकार श्री केशर सिंह (तहसीलदार पाली) , प्रतिवादी

वाद अंतर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:निर्णयः— दिनांक 09-01-2020

1. वादी ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण हेमावास गांव के निवासी है व हेमावास गांव के सभी व्यक्तियों की प्रतिनिधि के रूप में सबकी सहमति से उपरोक्त वाद वादीगण पेश कर रहे हैं मौजा हेमावास तहसील पाली में वर्तमान खसरा नम्बर 250, 252, 251 जो वर्तमान में चालू पड़त रेकर्ड में दर्ज है। उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 249, 251 गैर मुमकीन बेरा दर्ज है जो बेरा गवाई पिचका का है। उपरोक्त गावाई पिचका पूर्व की खातेदारी खसरा नम्बर 348/1,347,348, 351 थे, जिसमें भी बेरा गवाई पिचका दर्ज है। परन्तु सेटलेन्ट के वक्त गवाई पिचका दर्ज था। उसके जगह गैर मुमकीन बेरा व चालू पड़त दर्ज कर दी गई। उपरोक्त खसरा नम्बर 249,250,251,252 गावाई पिचका व उसकी जमीन आयी हुई है जहां पर गांव के पशुधन वहां पर खड़े व उनका विश्राम स्थल है व जहां पर गावाई पिचका बैरे है जिसमें से गांव वाले पानी भरते है व पशुधन के लिए उलावा में पानी भरा जाता है जो भी पिचका से भरा जाता है। उपरोक्त गावाई पिचका जमीन गांव वालों के उपयोग व उपभोग में आती है जिस पर कब्जा गावाई है व गांव वाले ही जमीन व पिचंके की देखरेख करते है परन्तु सैटलमेन्ट के वक्त गावाई पिचका की जमीन गैर मुमकीन बैरा व पड़त दर्ज हो गयी थी, जो रेकर्ड दुरूस्त किये जाने योग्य हैं श्री ज़िलाधीशजी द्वारा एक आदेश दिनांक 03.04.1971 को जारी किया गया। उसमें भी यह निर्धारित किया गया कि उपरोक्त जमींन गावाई पिचका की है। समस्त ग्रामवासी उपरोक्त भूमि का उपयोग एवं उपभोग कर रहे है। जब से हेमावास बना है तब से उपरोक्त भूमि गावाई पिचका के रूप में काम आती है व गांव वाले ही बिगोड़ी की राशि जमा करवाते है। उपरोक्त जमीन बांध भरने पर पानी की डूब में आ जाती है तब गांव के मवेशियों द्वारा भरे हुए पानी का उपयोग करते है व गांव के व्यक्ति ही उपरोक्त भूमि का उपयोग एवं उपभोग करते हैं। उपरोक्त भूमि गावाई सम्पत्ति है व रेकर्ड में गावाई पिचका की जगह पड़त भूमि व गैर मुमकीन बैरा दर्ज कर दिया गया है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है व उपरोक्त भूमि गांव मौजा हेमावास के खसरा नम्बर 249, 250, 251, 252 गावाई पिचका रेकर्ड में दर्ज किये जाने व उसी अनुसार रेकर्ड में दुरूस्त किये जाने का दावा खिलाफ प्रतिवादी पेश पेश है। बिनायदावा बमुकाम हेमावास तहसील पाली में वादग्रस्त भूमि स्थित होने से व दिनांक 31.10.2014 को प्रतिवादी द्वारा दखलअन्दाजी की धमकी देने से पैदा हुआ। वादी की ईस्तदुआ है कि वाद तहकीकात दावा वादग्रस्त भूमि गावाई सम्पत्ति है व रेकर्ड में गावाई पिचका की जगह पड़त भूमि व गैर मुमकीन बेरा दर्ज कर दिया गया है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है व उपरोक्त भूमि गांव मौजा हेमावास के खसरा नम्बर 249, 250, 251, 252 गावाई पिचका रेकर्ड में दर्ज किये जाने की डिक्री बहकवादी खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे व खर्चा मुकदमा व दिगर दादरसी की डिक्री खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावें।

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

2. वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया।

3. सरकारी पैरोकार ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया किया कि भूमि वर्तमान में जमाबंदी संवत् 2070–73 में सिचाय चक सरकारी खाते में दर्ज है। गांव हेमावास में वर्तमान खसरा नम्बर 249,250,251,252 जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 में सिवायचक सरकारी खाते मे दर्ज है। उक्त भूमि हेमावास बांध के डूब क्षेत्र में स्थित है। भूमि नगर परिषद सीमा में स्थित है। डूब क्षैत्र भी भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में ..... प्रतिबद्धित भूमि है। नियमानुसार खातेदारी दी जानी उचित नहीं है।

4. उक्त वाद में दिनांक 01.11.2016 को निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई–

4/1 आया वादग्रस्त भूमि पूर्व की खातेदारी खसरा नंबर 348/1, 347, 348, 351 भूमि गांवाई पिचका की भूमि है तथा सैटलमैंट के वक्त खसरा नंबर 250, 252, 249, 251 गांवाई पिचका की जमीन गैर मुमकिन बैरा व पड़त गलत दर्ज हो गई है– (वादी)

4/2 आया वादग्रस्त भूमि ग्राम हेमावास के खसरा नंबर 249,250,251,252 को राजस्व रेकर्ड में गांवाई पिचका दर्ज करवाने की डिक्री प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी है–(वादीगण)

4/3 आया वादग्रस्त भूमि हेमावास बांध के डूब क्षेत्र में स्थित है एवं नगर परिषद् सीमा में स्थित है जो धारा 16 के अंतर्गत प्रतिबंधित भूमि होने से खातेदारी नहीं दी सकती– (प्रतिवादी)

4/4 अनुतोष।

5. वाद को साबित करने के लिये वादीगण ने अपने बयान कलमबद्ध किये गये। तथा वादी मांगीलाल ने सरकारी पैरोकार द्वारा जरिह के द्वौरान बताया कि उक्त बेरा व जमीन बांध के दूब क्षेत्र में है। तथा उक्त जमीन सरकारी खाते में कब आई मुझे मामुल नहीं है। तथा काश्त करने के सबूत के रूप में गिरदावरी पेश नहीं की है। इस जमीन बाबत जो लगान भरी जाती थी वो रसीदे भी प्रस्तुत नही की है।

6. बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

7. बहस के द्वौरान वकील वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण हेमावास गांव के निवासी है मौजा हेमावास तहसील पाली में वर्तमान खसरा नम्बर 250, 252, 251 जो वर्तमान में चालू पड़त रेकर्ड में दर्ज है। उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 249, 251 गैर मुमकीन बेरा दर्ज है जो बेरा गवाई पिचका का है। उपरोक्त गावाई पिचका पूर्व की खातेदारी खसरा नम्बर 348/1,347,348, 351 थे। जिसमें भी बेरा गवाई पिचका दर्ज है। परन्तु सेटलेन्ट के वक्त गवाई पिचका दर्ज था। उसके जगह गैर मुमकीन बेरा व चालू पड़त दर्ज कर दी गई। उपरोक्त खसरा नम्बर 249,250,251,252 गावाई पिचका व उसकी जमीन आयी हुई है जहां पर गांव के पशुधन वहां पर खड़े व उनका विश्राम स्थल है व जहां पर गावाई पिचका बैरे है जिसमें से गांव वाले पानी भरते है व पशुधन के लिए उलावा में पानी भरा जाता है जो भी पिचका से भरा जाता है। उपरोक्त गावाई पिचका जमीन गांव वालों के उपयोग व उपभोग में आती है जिस पर कब्जा गावाई है व गांव वाले ही जमीन व पिचके की देखरेख करते है। परन्तु सैटलमेन्ट के वक्त गावाई पिचका की जमीन गैर मुमकीन बैरा व पड़त दर्ज हो गयी थी। जो रेकर्ड दुरूस्त किये जाने योग्य हैं श्री जिलाधीशजी द्वारा एक आदेश दिनांक 03.04.1971 को जारी किया गया। उसमें भी यह निर्धारित किया गया कि उपरोक्त जमींन गावाई पिचका की है। समस्त ग्रामवासी उपरोक्त भूमि का उपयोग एवं उपभोग कर रहे है। जब से हेमावास बना है तब से उपरोक्त भूमि गावाई पिचका के रूप में काम आती है व गांव वाले ही बिगोड़ी की राशि जमा करवाते है। उपरोक्त जमीन बांध भरने पर पानी की डूब में आ जाती है तब गांव के मवेशियों द्वारा भरे हुए पानी का उपयोग करते है व गांव के व्यक्ति ही उपरोक्त भूमि का उपयोग एवं उपभोग करते हैं। उपरोक्त भूमि गावाई सम्पत्ति है व रेकर्ड में गावाई पिचका की जगह पड़त भूमि व गैर मुमकीन बैरा दर्ज कर दिया गया है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है व उपरोक्त भूमि गांव मौजा हेमावास के खसरा नम्बर 249, 250, 251, 252 गावाई पिचका रेकर्ड में दर्ज किये

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

जाने व उसी अनुसार रेकर्ड में दुरूस्त किये जाने का दावा खिलाफ प्रतिवादी पेश पेश है। वाद तहकीकात दावा वादग्रस्त भूमि गावाई सम्पत्ति है व रेकर्ड में गावाई पिचका की जगह पड़त भूमि व गैर मुमकीन बेरा दर्ज कर दिया गया है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है व उपरोक्त भूमि गांव मौजा हेमावास के खसरा नम्बर 249, 250, 251, 252 गावाई पिचका रेकर्ड में दर्ज किये जाने की डिक्री बहकवादी खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे ।

8. सरकारी पैरोकार ने बहस के द्वौरान निवेदन किया की भूमि गांव मौजा हेमावास के खसरा नम्बर 249, 250, 251, 252 डूब क्षैत्र में है। सेटलमेंन्ट के समय से ही उक्त खसरो किस्म पड़त भूमि व गैर मुमकीन बेरा दर्ज है। इसलियें इन जमीन की किस्म नहीं बदल सकते है। तथा जिरह के द्वौरान भी उक्त बेरा व जमीन बांध के दूब क्षेत्र में होना वादीगण द्वारा बताया है। तथा उक्त जमीन सरकारी खाते में कब आई मुझे मामुल नहीं है। तथा काश्त करने के सबूत के रूप में गिरदावरी पेश नहीं की है।अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादीगण का वाद खारीज फरमावें।

9. पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। मौजा ग्राम हेमावास तहसील पाली में वर्तमान खसरा नम्बर 250, 252, 251 जो वर्तमान में चालू पड़त रेकर्ड में दर्ज है। तथा भूमि खसरा नम्बर 249, 251 गैर मुमकीन बेरा दर्ज है। मांगीलाल ने सरकारी पैरोकार द्वारा जिरह के द्वौरान बताया कि उक्त बेरा व जमीन बांध के दूब क्षेत्र में है तथा उक्त जमीन सरकारी खाते में कब आई मुझे मालुम नहीं है और काश्त करने के सबूत के रूप में भी गिरदावरी वादीगण द्वारा पेश नहीं की है। उक्त जमीन बाबत जो लगान भरी जाती थी वो रसीदे भी प्रस्तुत नही की है।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद अंतर्गत धारा 88,188 आर.टी.एक्ट, 1955 के तहत स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने योग्य नहीं पाये जाने से खारिज किया जाता है। डिक्री परचा मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली

यह आदेश आज दिनांक 09-01-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' -1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उप जिला कलेक्टर, पाली

इजलास– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर, (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 38 सन् 2014

वादीः–

1. मांगीलाल पुत्र श्री पुखादासजी जाति वैष्णव उम्र 65 वर्ष निवासी हेमावास तहसील पाली जिला पाली (राज.)
2. घेवरराम पुत्र श्री मांगीलाल जी खारवाल निवासी हेमावास तहसील पाली जिला पाली।

बनाम प्रतिवादीगणः–

1. भूमिधारी तहसीलदार जी, पाली।

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री मनोहर नारायण ओझा, विद्वान अभिभाषक वादी बहाजरी मिनजानिब मुद्दई व श्री केसरसिंह, तहसीलदार, पाली मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अंतर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार कर डिक्री किये जाने योग्य नहीं पाये जाने से खारिज किया जाता है।

नीज.....शून्य..... मुबलिग .....शून्य.... बाबत.....शून्य.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....शून्य.....फीसदी आज की तारीख से वसूलयानी तक .....शून्य..... को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09 माह 01 सन् 2020 को जारी की गई।

मुहर

सहायक कलेक्टर
पाली

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीनामा	–	–	स्टाम्प वकालतनामा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	–	स्टाम्प हाजरी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर	–	–
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर	–	–
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफरिक	–	–
मुतफरिक	–	–	–	–	–
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर जो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2020.02.12 15:37:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: